भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 - 1144
उत्तर देने की तारीख - 23 मार्च, 2012

बीएसएनएल के लिए वाइमैक्स सेवाएं संस्थापित किए जाने में अनियमितताएं

1144. **श्री प्रभात झा :**
श्रीमती कुसुम राय :

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लिए वाइमैक्स सेवाएं संस्थापित किए जाने के लिए लीज्ड सर्विस एरिया (एलएसए) का ठेका प्रदान करने में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने देश भर में नौ स्थानों पर छापे मारे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या निजी फर्मों को टेंडर दिए जाने के संबंध में प्रतिमानकों से छेड़छाड़ करने के लिए जवाबदेही तय की गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं : और

(ङ) इस अनियमितता के चलते राजस्व की कितनी हानि होने का आकलन किया गया है ?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) और (ख) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लिए वाइमैक्स सेवाएं संस्थापित किए जाने के लिए लीज्ड सर्विस एरिया (एलएसए) का ठेका प्रदान करने में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने देशभर में नौ स्थानों पर छापे मारे है। जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(i) श्री कुलदीप गोयल, बीएसएनएल के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के आवासीय भवन इंदिरापुरम गाजियाबाद में।
(ii) श्री राकेश कुमार अग्रवाल, निदेशक (सीएम), बीएसएनएल का आवासीय भवन नई दिल्ली में।
(iii) श्री प्रदीप नागपाल का आवासीय भवन, नई दिल्ली में।
(iv) श्री अनिल कुमार (भारद्वाज) तत्कालीन उप-महा प्रबंधक (एनडब्ल्यूपी-वाइमैक्स) के आवासीय भवन फरीदाबाद हरियाणा में।
(v) श्री शणमुग सुंदरम मनोहरन, निदेशक मैसर्स एमपोल्स ऑटो प्रा0 लि0 के आवासीय भवन चेन्नै-600026 में।
(vi) मैसर्स स्टारनेट कम्युनिकेशंस प्रा0 लि0, गुड़गांव के कार्यालय परिसर में।
(vii) मैसर्स वेलकम कम्युनिकेशंस प्रा0 लि0 कापरिसर चेन्नै में।
(viii) मैसर्स एस0के0 ठाकुर एंड एसोसिएट्स के सीए का परिसर हावड़ा में।
(ix) मैसर्स एस0के0 ठाकुर एंड एसोसिएट्स के सीए का परिसर कोलकाता में।

(ग) और (घ) मामला जांच के आरंभिक स्तर पर है।

(ङ) इस मामले की एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि इसके कारण बीएसएनएल को 535.50 करोड़ रु0 की हानि हुई थी।

***